सेमेस्टेर 2 By Dr Sharad Suman Mishra
नागरिकता के सिद्धांत

नागरिकता यानी एक विशिष्ट संबंध जिससे लोग आमतौर पर राज्य में सार्वजनिक जीवन में सापेक्ष रूप से बराबरी का दर्जा प्राप्त करते हैं ।नागरिकता से अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं ।नागरिकता से कर्तव्य एवं मान्यताएं जन्म लेती हैं। नागरिकता इस प्रकार राजनीतिक समुदाय की समस्या सदस्यता को बताती है ।आज हर व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक है। और वहां पर भी जहां नागरिकता किसी विशेष विवाद में उलझी है अनेक तरह के मौलिक अधिकार तथा कुछ विशेष प्रावधान है। नागरिकता कि जो हकदारी है वह सार्वभौमिक हो चुकी है। नागरिकता का संबंध एक और राज्य से है तो दूसरी ओर समुदाय से है । नागरिकता की अनेक परिभाषाएं हैं ।हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नागरिकता को ऐसे अधिकार और दायित्व वाले राजनीतिक समुदाय की सदस्यता के रूप में मान सकते हैं जो जन समुदाय में व्यापक रूप से व्याप्त यानी फैला हुआ और आवंटित यानी प्राप्त है। सदस्यता सक्रिय और तटस्थ दोनों प्रकार की होती है, जिसे नागरिक ग्रहण करते हैं। तटस्थ सदस्यता वाले नागरिक कतिपय अधिकारों और दायित्वों के हकदार होते हैं चाहे उनके निर्माण में उनकी कोई सक्रिय भूमिका हो अथवा नहीं ।परंतु नागरिकता के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह समुदायों के जन सामान्य और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेना भी शामिल होता है और यह इससे संबंधित अधिकारों और दायित्वों से समझ आता है । नागरिकों को कुछ विशिष्ट अधिकार होते हैं जो गैर नागरिकों के पास नहीं होते। अधिकांश राज्य मतदान का अधिकार और विदेशियों के सार्वजनिक कार्यालय की मंजूरी सभी को नहीं देते ।यह सिर्फ नागरिकों का अधिकार होता है ।एक व्यक्ति जो नागरिक है के पास इतने अधिकार होते हैं जो विदेशियों के पास नहीं होते।

नागरिकता कर्तव्य और अधिकार दोनों से जुड़ी हुई है। और दोनों को प्रभावित करती है ।
नागरिकता को तीन आयामों में बांटा जा सकता है ।
सिविल

राजनीतिक
और सामाजिक

सिविल आयाम में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक अधिकार शामिल हैं। जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता ,भाषण विचार और विश्वास की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संपत्ति पर हक दिखाने की स्वतंत्रता, तथा वैध संविदा ओं के निपटारे और न्याय संगत व्यवस्था के लिए संघर्ष करने का अधिकार ।अंतिम अधिकार के तहत व्यक्ति कानून के अंतर्गत अन्य के साथ समानता के संदर्भ में अपने दावों की रक्षा करता है। और उन पर हक दर्शाता है ।आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार मौलिक सिविल यानी नागरिकता का अधिकार है ,अपनी रूचि के अनुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार और अपनी रुचि के स्थान पर दूसरों के अधिकारों से सीमित कार्य करने का अधिकार ।

राजनीतिक आयाम में ऐसे निकाय के सदस्य के रूप में राजनीतिक सत्ता के इस्तेमाल में भाग लेने के अधिकार शामिल हैं। जैसे राजनीतिक प्राधिकार, मतदान, राजनीतिक नेतृत्व की अपेक्षा करने और उसका समर्थन करना, ऐसे राजनीतिक प्राधिकारी का प्रबल समर्थन जो न्याय और समानता का पक्षधर है तथा उचित राजनीतिक प्राधिकारी के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है।

सामाजिक आयाम में संपूर्ण प्रकार के दावे शामिल होते हैं जिनमें आर्थिक कल्याण और सुरक्षा का अंश ,सामाजिक विरासत में पूरी तरह भाग लेने तथा किसी समाज विशेष में प्रचलित मानकों के अनुसार जीवन जीने का अधिकार शामिल है। सामाजिक आयाम में संस्कृति का अधिकार भी शामिल है। जिसके कारण मनुष्य स्वयं के लिए विशिष्ट जीवन यापन करने का हक़दार बनता है।

नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत- आधुनिक नागरिकता की नीव पाश्चात्य उदारवादी परंपरा में रखी गई जैसे-जैसे राजतंत्रिय सामंतवादी नियंत्रण के स्थान पर मौलिक अधिकारों, स्वतंत्रताओ की धारणा बढ़ती गई वैसे वैसे आधुनिक नागरिकता की नीव भी सुदृढ़ होती गई| टी एच ग्रीन ने सभी नागरिकों को अच्छा जीवन सुलभ कराने हेतु सामाजिक कल्याण के बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया और इसे नागरिकता का सार तत्व माना| वही बेंथम और मिल और आरंभिक उदारवादीयो से लेकर नागरिकता का काफी अर्थ विस्तार हुआ और अंततः यह निष्कर्ष निकला कि आधारभूत भरण-पोषण की सुविधा के बगैर नागरिकता की अवधारणा निरर्थक है|

नागरिकता की मार्क्सवादी अवधारणा- इनके अनुसार सच्ची नागरिकता तब तक संभव नहीं है जब तक समाज में वर्ग विभेद विद्यमान है| मार्क्सवादियो का दावा है कि उदारवादी लोकतंत्र में नागरिकता उच्चतर वर्गों द्वारा अपने विशिष्ट हैसियत बनाए रखने के औजार के सिवा और कुछ नहीं है, यह मूलत: सर्वहारा वर्ग के हितों के विरुद्ध है|

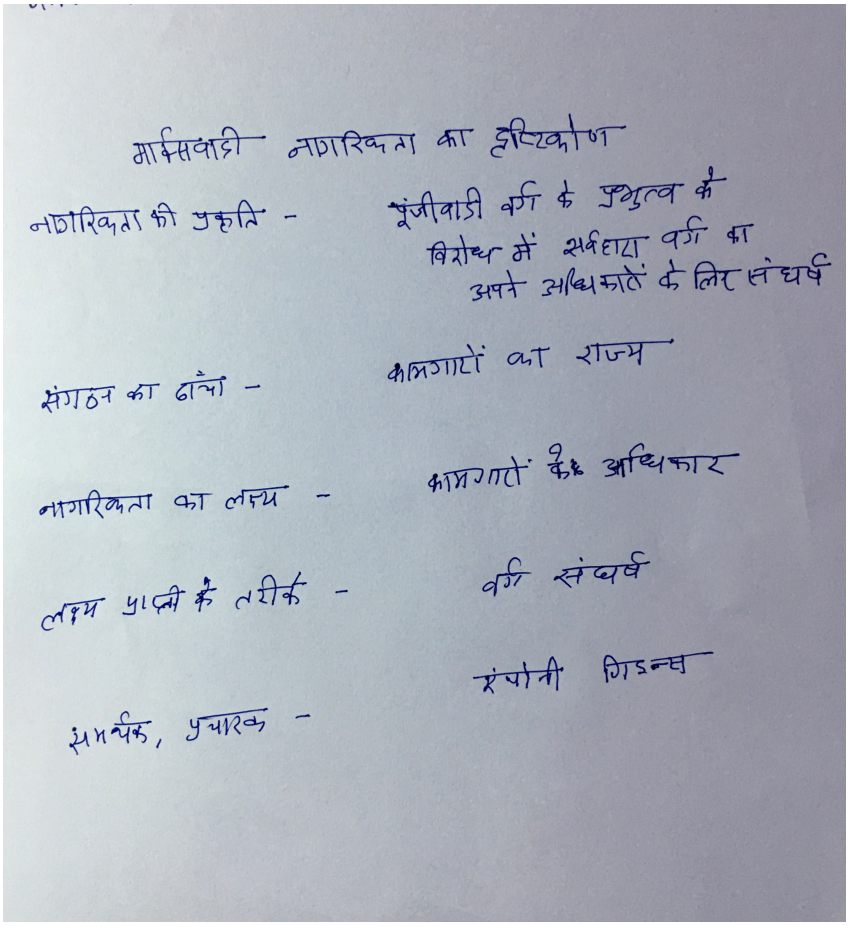


नागरिकता की नारीवादी अवधारणा- नारी वादियों का मत है कि क्लासिकल परंपरा में महिलाओं को नागरिकता से पूरी तरह वंचित रखा गया तथा आधुनिक नागरिकता यद्यपि महिलाओं का पूर्ण बहिष्कार तो नहीं करती किंतु वह भी उन्हें माताओं या पत्नियों की सामाजिक रूप से उपयोगी और निर्भर भूमिकाओं के आधार पर नागरिकता की रूपरेखा में सम्मिलित करती है| राजनीति से यह उन्हें बाहर रखती है|